

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०—01334—265700

पत्रांक: न-6/सीएफओ-आर/2025

दिनांक: अगस्त 30, 2025।

स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
राजा महेन्द्र प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी,
गुरुकुल नारसन तहसील रुड़की,
जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर:—83685720 दिनांक: 19.08.2025 जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की द्वारा किया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की की निरीक्षण आख्या दिनांक: 28.08.2025 के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, आन्तरिक फायर हाईड्रेन्ट टेरिस टैंक, टेरिस पम्प, इत्यादि का कार्यशील दशा में होना अंकित किया है।

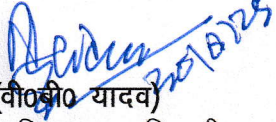
उपरोक्त भवन/संस्थान स्कूल है। भवन में कुल G+01 तल है। भवन/संस्थान के प्लॉट का क्षेत्रफल 10222 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 2000 वर्ग मी० है भवन/संस्थान की ऊँचाई 7 मीटर है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 30 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2028 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियाँ प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी. 2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाय के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाय नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

(2)

9. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
10. प्रत्येक 03 माह में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के मेन्टीनेंस की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।
11. संस्थान के मानचित्र में प्रदर्शित सेट बैक में स्थाई व अस्थायी निर्माण कर अग्निशमन एवं रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एवं सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
12. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
13. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सुझाव के अनुरूप व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुर्घटना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(वी.बी. यादव)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रुड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।